न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0) (369)

निग0 3656/2018/रीवा/भू-रा0

1. विश्वनाथ तनय मनी साकेत उम्र 60 वर्ष,
2. बुद्धसेन तनय मनी साकेत उम्र 55 वर्ष,

दोनो निवासी ग्राम पिपरा, तहसील मऊगंज, वर्तमान नईगढ़ी, जिला रीवा म0प्र0 ....निगरानीकर्तागण

बनाम

गौरी चमार पिता मुरली चमार निवासी ग्राम पिपरा, तहसील मऊगंज, वर्तमान नईगढ़ी, जिला रीवा (म0प्र0) ....गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय अपर कलेक्टर मऊगंज जिला रीवा म0प्र0 के प्रकरण क्रमांक 05/निग./अ-12/2013-14

आदेश दिनांक 30.01.2018

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 ई0

अधि० श्री रामानुज ने दिया साथ पेश।

क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है :-

1. यह कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि गैरनिगरानीकर्ता भूमि खसरा नम्बर 260/4, 208/4 स्थित ग्राम पिपरा, तहसील मऊगंज, जिला रीवा के सीमांकन कार्यवाही बावत् नायब तहसीलदार वृत्त रामपुर, जिला रीवा के समक्ष आवेदन पत्र पेश किया गया था, जिसे राजस्व निरीक्षक को सीमांकन की कार्यवाही पूर्ण करने बावत् आदेश दिये जाने पर तत्कालीन राजस्व

(245)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

...ग क्रमांक R. 3650-रीवा/18 जिला– रीवा

विश्वनाथ साकेत विरूद्ध गोरी चमार

(1)	(2)
17.1.19	1. आवेदक की ओर से श्री रामानुज सोंधिया अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी ~~कलेक्टर~~/ अपर कलेक्टर, जिला........ के प्रकरण क्रमांक 05/अ12/निग/13-14 में पारित आदेश दिनांक 30-1-18 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 16-4-18 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य